



बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित
विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

सुशील कुमार मोदी
उप मुख्य (वित्त) मंत्री

वर्ष 2019

विषय सूची

	पृष्ठ
(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	3-10
(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	11-19
(ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	20-32

बिहार राजकोषीय नीति विवरण का अवलोकन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की प्रमुख अवधारणा है कि वित्तीय घाटा का अर्थव्यवस्था के सभी घटकों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव होता है। निम्न वित्तीय घाटा जहाँ उच्च एवं सतत् आर्थिक विकास के पथ को प्रशस्त करता है वहीं उच्च वित्तीय घाटा मुद्रास्फीति को प्रेरित करता है और साथ ही इससे काफी मात्रा में लोक ऋण का संचयन भी होता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को ऋण के दुश्चक्र में ले जाता है। किसी भी राज्य में सुशासन स्थापित करने के लिए उस राज्य की वित्त व्यवस्था को दुरुस्त करना अति आवश्यक हो जाता है। वित्त व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 12वें वित्त आयोग ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की अनुशंसा की थी। इसको ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी, 2006 को बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 को लागू किया गया। एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय अनुशासन को अधिनियमित किया गया जो निम्न है-

- ❖ वर्ष 2007-08 में राज्य में शून्य राजस्व घाटा या राजस्व अधिशेष हासिल करने के संबंध में राजकोषीय सुधार पथ के लिए 2011-12 तक राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना और उसके बाद उसे उसी स्तर पर बरकरार रखना;
- ❖ लागत वसूली एवं इक्विटी (हिस्सेदारी) पर सम्यक् रूप से ध्यान देते हुए गैर कर राजस्व में वृद्धि की नीतियों का अनुपालन करना;
- ❖ पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देते हुए मानक निर्धारित करना और व्यय संबंधी ऐसी नीतियों का अनुसरण करना जो आर्थिक विकास, गरीबी में कमी तथा मानव विकास में सुधार को गति प्रदान करे।

राज्य सरकार ने एफ०आर०बी०एम० अधिनियम लागू होने के बाद से अनेक नीतिगत त्वरित कदम उठाये जो वित्तीय समायोजन और राजकोषीय समेकन को प्रभावित करके एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में कारगर सिद्ध हुआ है। बिहार की राजकोषीय नीति एक व्यापक राजकोषीय नीति है जिसमें अर्थव्यवस्था और विवेकपूर्ण वित्त प्रबंधन को ध्यान में रखकर समय-समय पर बदलाव किया जाता रहा है। इस संदर्भ में, केन्द्र सरकार द्वारा वैश्विक आर्थिक मंदी के मद्देनजर, राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का अनुपात वर्ष 2009-10 में

4.00 प्रतिशत तथा वर्ष 2010-11 में 3.50 प्रतिशत रखा गया था। वर्ष 2011-12 एवं आगे के वर्षों के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3.00 प्रतिशत रखा गया। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 9, 2016) के द्वारा एफ०आर०बी०एम० एक्ट, 2006 में अपेक्षित संशोधन किया गया। अधिनियम 2016 के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् है-

1. वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत् किया जाता है:-

(I) राज्य का राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। राज्य इससे अधिक की सीमा के लिए किसी भी वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका बकाया ऋण- जी०एस०डी०पी० अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता व उदारता के लिए पात्र होगा।

(II) राज्य उक्त वर्ष में जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका ब्याज भुगतान उसके पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जी०एस०डी०पी० का 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए भी पात्र होगा।

(III) लोचनीयता संबंधी प्रावधानों के अधीन राज्य उपर्युक्त इंगित दो विकल्प प्राप्त कर सकते हैं या तो उपर्युक्त में से कोई एक मानदण्ड पूरा करने पर कोई भी उपर्युक्त विकल्प या दोनों मानदंडों को पूरा करने पर दोनों विकल्प एक साथ। इस प्रकार किसी दिए गए वर्ष में राज्य को अधिकतम राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत सीमा तक प्राप्त हो सकता है।

(IV) एक विकल्प या दोनों विकल्पों के अधीन अतिरिक्त सीमा प्राप्त करने के लिए राज्य के पास लोचनीयता तभी उपलब्ध होगी यदि उक्त वर्ष में, जिसमें उधार सीमाएं नियत की जानी है और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में कोई राजस्व घाटा न हो।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी विशिष्ट वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के सामान्य राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे केवल अगले वर्ष में इस अनुपयोजित उधार राशि (जिसका रूपये

में परिकलन किया गया है) को 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2017-18 से 2019-20 के भीतर प्राप्त करने का विकल्प होगा। अनुपयोजित उधार राशि सहित यह राशि जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत तक सीमित होगी ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 18 फरवरी, 2006 के प्रभाव से लागू किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ-साथ राजकोषीय नीति संबंधी विवरणों- (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण, (ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति का विवरण और (ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण को रखेगी ।

(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण

1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत अवलोकन-

राज्य की आय से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार वर्ष 2005-06 से निरंतर तीव्र गति से आर्थिक विकास की तरफ अग्रसर है । वर्ष 2005 के बाद राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास हुआ है जिसके फलस्वरूप वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से भी अधिक रही है। इस अवधि में सार्वजनिक निवेश के स्तर में भी वृद्धि हुई है । बिहार राज्य का बजट आकार 23,885 करोड़ रुपये (वर्ष 2004-05) से बढ़कर 1,76,990 करोड़ रुपये (वर्ष 2018-19) हो गया है जो 7 गुणा से अधिक है । सार्वजनिक निवेश के अलावे विकास के पैटर्न में भी भारी परिवर्तन हुआ जिसमें अधिसंरचनात्मक विकास और सामाजिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने पर काफी बल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2004-05 (77,781 करोड़ रुपये) की तुलना में वर्ष 2017-18 (चालू मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 पर 4,87,628 करोड़ रुपये) में लगभग 6 गुणा से भी अधिक हो गयी है ।

बिहार की आर्थिक विकास दर 2018 में देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है । वर्ष 2017-18 में बिहार ने 11.3 प्रतिशत की विकास दर को हासिल किया जो किसी भी राज्य के आर्थिक वृद्धि दर से अधिक है । साथ ही देश की आर्थिक वृद्धि 6.7 प्रतिशत से काफी ज्यादा है । यह विकास दर बिहार के पिछले पाँच वर्षों में सर्वाधिक है ।

तालिका क. 1: अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन (2011-12 के स्थिर मूल्यों पर)

प्रक्षेत्र	जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० (करोड़ रुपये में)			जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० में हिस्सा (प्रतिशत में)		
	2011-12	2014-15	2017-18	2011-12	2014-15	2017-18
अखिल भारत						
प्राथमिक	1762851	1894401	2156538	21.7	19.5	18.0
द्वितीयक	2374017	2733213	3357247	29.3	28.1	28.0
तृतीयक	3969789	5084519	6462370	49.0	52.4	54.0
कुल	8106657	9712133	11976155	100.0	100.0	100.0
प्रति व्यक्ति आय सकल मूल्यवर्धन (जी०वी०ए०)	63462	72805	86668	-	-	-
बिहार						
प्राथमिक	62265	59926	69628	25.8	22.2	20.2
द्वितीयक	45341	56247	60172	18.8	20.9	17.5
तृतीयक	134092	153245	214947	55.5	56.9	62.3
कुल	241698	269418	344747	100.0	100.0	100.0
प्रति व्यक्ति आय सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जी०एस०वी०ए०)	21750	23223	28485	-	-	-

स्रोत:- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

तालिका क.1: में बिहार एवं अखिल भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन दर्शाया गया है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये सामाजिक एवं भौतिक क्षेत्रों में नीतिगत कदमों के फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक प्रक्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 21.7 प्रतिशत था जबकि इस अवधि में बिहार में इस प्रक्षेत्र का योगदान 25.8 प्रतिशत था। इस प्रक्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2017-18 में दोनों ही स्तर पर घट गया और यह राष्ट्रीय स्तर पर 18.0 प्रतिशत तथा राज्य के स्तर पर 20.2 प्रतिशत हो गया है। यह अर्थव्यवस्था के सुधार को दर्शाता है। जहाँ तक द्वितीयक प्रक्षेत्र का सवाल है, इस प्रक्षेत्र का हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर 28.0 प्रतिशत है जो बिहार में मात्र 17.5 प्रतिशत आता है तथा इसमें कमी भी हो रही है। इसको बढ़ाने के लिए राज्य में औद्योगिकीकरण एवं निजी निवेश को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। पूरे विश्व में सेवा

प्रक्षेत्र में अति तीव्र गति से बढ़ोत्तरी दर्ज हो रही है। इस प्रभाव से हमारा देश भी अछूता नहीं रहा, और वर्ष 2011-12 में 49.0 प्रतिशत की तुलना में इस प्रक्षेत्र का योगदान बढ़कर 54.0 प्रतिशत हो गया । जहाँ तक बिहार राज्य में सेवा प्रक्षेत्र का सवाल है, अर्थव्यवस्था का 62.3 प्रतिशत (वर्ष 2017-18) से भी अधिक इस प्रक्षेत्र का योगदान है जो 2011-12 में 55.5 प्रतिशत था । बिहार का आर्थिक ढांचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप है । राष्ट्रीय एवं बिहार राज्य दोनों स्तर पर प्राथमिक एवं द्वितीय प्रक्षेत्र में गिरावट तथा तृतीयक क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है । परन्तु जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक प्रक्षेत्र का हिस्सा बिहार से अधिक है वहीं बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सेवा प्रक्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय स्तर से अधिक है । बिहार की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का वर्ष 2015-16 में मात्र 30.8 प्रतिशत था जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 32.9 प्रतिशत हो गया है ।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि-

बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में विभिन्न प्रक्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है । तालिका-क. 2 में इसको दर्शाया गया है । बिहार में वर्ष 2005 से आर्थिक विकास की वृद्धि दर दो अंको में दर्ज की गयी है । वर्ष 2005 से वर्ष 2015 तक बिहार की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 10 प्रतिशत रही है । यह वृद्धि दर 2015-16 में 5.8 प्रतिशत था जो बढ़कर 2016-17 में 9.9 प्रतिशत तथा वर्ष 2017-18 में पुनः वृद्धि कर 11.3 प्रतिशत हो गया है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर 6 से 7 प्रतिशत दर्ज किया गया था । हाल के वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2017-18 में बिहार के आर्थिक विकास में विभिन्न प्रक्षेत्रों के योगदान पर नजर डालने से पता चलता है कि 10 प्रतिशत या उससे अधिक विकास दर दर्ज करने वाले ये क्षेत्र बिहार के विकास के वाहक हैं । ये प्रक्षेत्र-

- (i) व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह (22.0 प्रतिशत),
- (ii) मछलीपालन एवं जलवानिकी (15.5),
- (iii) परिवहन, भंडारण और संचार (14.1 प्रतिशत),
- (iv) अन्य सेवाएं (13.8 प्रतिशत),
- (v) वित्तीय सेवाएं (11.9 प्रतिशत) तथा
- (vi) पशुपालन (10.0 प्रतिशत) है ।

मछलीपालन एवं पशुपालन को छोड़कर 10 प्रतिशत से अधिक विकास दर वाले सभी प्रक्षेत्र सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सेवा क्षेत्र का योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में 60 प्रतिशत से भी अधिक है। अर्थव्यवस्था में इस वृद्धि की वजह से बिहार की प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में 28,485 रुपये हो गयी है जो वर्ष 2011-12 में मात्र 21,750 रुपये थी।

तालिका क.2

स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न प्रक्षेत्रों का विकास दर

(प्रतिशत में)

क्र० सं०	क्षेत्र	2015-16		2016-17		2017-18	
		चालू मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर	चालू मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर	चालू मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर
1	कृषि/वानिकी और मत्स्य	7.2	2.4	16.7	10.1	5.6	1.4
1.1	फसल	6.0	0.3	21.5	13.2	-0.2	-4.3
1.2	पशुधन	10.0	6.0	11.6	7.8	13.4	10.0
1.3	वानिकी/काष्ठ उत्पादन	10.8	3.2	9.2	3.2	8.9	3.2
1.4	मत्स्य एवं जलीय कृषि	4.0	5.6	5.8	0.5	23.0	15.5
2	खनन/प्रस्तर खनन	213.9	210.0	18.0	-0.1	23.0	3.5
	उप योग (प्राथमिक)	9.4	4.4	16.8	9.8	6.1	1.4
3	विनिर्माण	-15.0	-10.0	8.5	7.6	2.4	2.7
4	विद्युत/गैस/जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	52.1	0.1	-4.0	7.3	3.5	3.6
5	निर्माण	-0.5	10.2	3.3	1.0	5.5	2.2
	उप योग (द्वितीयक)	-4.5	0.1	4.8	4.2	4.1	2.5
6	व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	23.7	18.3	26.1	22.2	25.9	22.0
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	24.5	19.1	27.2	23.3	26.8	22.9
6.2	होटल एवं रेस्टोरेंट	11.4	6.4	8.9	5.7	8.3	4.8
7	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	7.0	8.9	9.1	5.7	14.7	14.1
7.1	(i) रेलवे	1.3	-0.5	3.4	-3.6	3.4	11.0
7.2	(ii) सड़क परिवहन	11.7	10.5	15.0	11.9	16.6	13.5
7.3	(iii) जल परिवहन	6.4	5.2	14.0	11.0	14.3	11.2
7.4	(iv) वायु परिवहन	99.3	97.1	12.8	9.8	42.2	38.3
7.5	परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाएं	12.8	11.6	13.7	12.6	13.5	12.3
7.6	भंडारण	7.6	6.5	5.9	3.2	5.4	2.6
7.7	प्रसारण से संबंधित सेवाएं	0.4	10.1	0.3	-1.3	16.2	16.6
8	वित्तीय सेवाएं	9.7	6.4	-3.6	-4.4	12.7	11.9
9	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं	-0.7	-2.3	6.0	4.4	9.0	6.7
10	लोक प्रशासन	2.7	-0.3	35.7	33.4	11.0	6.9
11	अन्य सेवाएं	15.6	10.4	14.7	10.1	18.3	13.8
	उप योग (तृतीयक)	11.7	8.6	16.5	12.8	17.9	14.6
12	जी०एस०डी०पी०/ जी०वी०ए०	8.0	5.9	14.5	10.4	12.8	9.5
13	जी०एस०डी०पी०	7.7	5.8	15.3	9.9	14.5	11.3

स्रोत:- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

बिहार सरकार की प्राथमिकता सदैव राज्य में सुशासन एवं न्याय के साथ विकास रहा है। राज्य सरकार ने इस एजेंडा की प्रतिपूर्ति के लिए अपने सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही नहीं किया है, बल्कि अपने प्रशासन तंत्र का भी सुदृढीकरण किया है और अनेक संस्थागत सुधारों को आरंभ किया है। निवेश के चुनाव में भी बदलाव आया और अधिसंरचना (इनफ्रास्ट्रक्चर) तथा सामाजिक सेवा प्रदान प्रणाली (सोशल डिलीवरी सिस्टम) के विकास पर काफी जोर दिया गया है। राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमानी दिखाकर, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करके तथा व्यय की गुणवत्ता तथा इसके परिणामों को भी सुनिश्चित करने के लिहाज से लोक वित्त के प्रबंधन को सर्वोच्च महत्व दिया गया है।

3.1 संसाधन संग्रहण-

राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों में कर और गैर-कर राजस्व, पूंजीगत प्राप्तियाँ, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनुदान सम्मिलित है। पिछले दस वर्षों में राज्य सरकार का कुल राजस्व प्राप्ति में 4.2 गुणा की बढ़ोतरी दर्ज करने के फलस्वरूप वर्ष 2007-08 में मात्र 28,210 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर वर्ष 2017-18 में 1,17,447 करोड़ रुपये हो गया है। राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा केन्द्रीय कर में राज्य का हिस्सा 55.4 प्रतिशत, राज्य का अपना कर राजस्व 19.7 प्रतिशत, केन्द्रीय अनुदान 21.9 प्रतिशत तथा राज्य का अपना गैर-कर राजस्व 3.0 प्रतिशत रहा है। अतः बिहार में 77.3 प्रतिशत संसाधन केन्द्रीय हस्तांतरण के रूप में मिलता है परंतु वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद राज्य के अपने कर राजस्व में तीव्र वृद्धि का अनुमान है, क्योंकि बिहार उपभोक्ता बहुल राज्य है और वस्तु एवं सेवा कर उपभोक्ता राज्य के लिए लाभप्रद है। इसका कारण यह है कि यह कर गन्तव्य आधारित कर है।

3.2 व्यय प्रबंधन:-

राज्य के व्यय को कामकाजी वर्गीकरण के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। वर्ष 2007-08 की तुलना में राज्य का कुल व्यय 4.3 गुणा की बढ़ोतरी दर्ज करने के फलस्वरूप 31,571 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 1,36,427 करोड़ रुपये हो गया है। राजस्व व्यय में जहाँ 4.4 गुणा वृद्धि दर्ज की गई है वहीं पूंजीगत व्यय में भी 4.3 गुणा की

वृद्धि सराहनीय है । यह पूंजीगत निवेश आर्थिक विकास को तेजी प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है । इसी प्रकार यदि राज्य की विकासमूलक व्यय पर नजर डालें तो यह 6.0 गुणा से भी ज्यादा हो गया है । साथ ही गैर विकास मूलक व्यय 4.9 गुणा वृद्धि दर्ज की गयी है । सामाजिक एवं आर्थिक विकास हमेशा से राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है । अतः व्यय का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर खर्च होता है । यह राज्य के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने में मदद करेगा। यह बिहार में सीमित संसाधनों के अनुरूप वितरण को दर्शाता है ।

3.3 ऋण प्रबंधन:-

वर्ष 2000-01 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 50 प्रतिशत से भी अधिक था । अतः राज्य को ऋण जाल में फंस जाने का गंभीर खतरा मौजूद था जिसमें समस्त नई उधारियाँ भी, विद्यमान ऋण बोझ तथा ब्याज की अदायगी पर ही खर्च हो जाती । राज्य सरकार की विशेष पहल के द्वारा 2005-06 के बाद से बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज किया गया है । यह वर्ष 2012-13 में मात्र 26 प्रतिशत रह गया था । वर्ष 2017-18 में यह अनुपात 32.1 प्रतिशत हो गया है । इसे पुनः कम कर 25 प्रतिशत की सीमा के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है ।

3.4 घाटा प्रबंधन (Deficit Management):-

घाटा प्रबंधन के प्रमुख तीन घटक हैं- राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा । बिहार सरकार ने 2005-06 एवं उसके बाद के वर्षों में घाटा प्रबंधन को अनुशासित रखा है। वर्ष 2005-06 से ही राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के अंदर ही रखा गया है । मात्र वर्ष 2009-10 में यह 3.2 प्रतिशत हो गया था जो उस वर्ष की निर्धारित सीमा 4.0 प्रतिशत के अंदर था । इस दिशा में बिहार राज्य में राजस्व अधिशेष का संग्रह होना, राज्य के आर्थिक विकास में 'मील का पत्थर' साबित हुआ । यह राजस्व आधिक्य पूंजीगत व्यय पर खर्च कर राज्य की भौतिक एवं सामाजिक अधिसंरचना को सुदृढ़ किया गया । जहां तक प्राथमिक घाटा का सवाल है, यह मात्र 1.1 प्रतिशत है। अतः बिहार सरकार ने घाटा का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है।

4. संभावनाएँ-

बिहार जैसे पिछड़े राज्य में विकास का पर्याय समुचित विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के जरिए वित्त व्यवस्था प्रबंधन पर निर्भर करता है। आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के लिए संसाधनों का सख्ती से आवंटन और सारे सार्वजनिक व्ययों के परिणामों का अनुश्रवण किसी भी सरकार के लिए अनिवार्य कार्य है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार करके और अपने स्रोतों से राजस्व बढ़ाकर राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है। अधिसंरचनाओं में निवेश के लिए पूंजीगत परिव्यय लगातार बढ़ाया जाता रहा है जिसके फलस्वरूप बिहार में आर्थिक विकास विगत कई वर्षों से 10 प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ी है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर व्यय में प्रचुर वृद्धि के चलते आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जो अधिकांश सामाजिक आर्थिक सूचकों में भी अभिव्यक्त होता है। गरीबी के परिप्रेक्ष्य में भी सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। जहाँ आज भी 70 प्रतिशत लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर आश्रित हैं। कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र में पिछले 7 वर्षों में लगभग 7 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है इसलिए इसकी विकास दर में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग, सिंचाई का तीव्र विस्तार, उन्नत बीज, कृषि उत्पाद का वाणिज्यीकरण तथा उसको बाजार एवं उद्योग से जोड़ कर इस क्षेत्र में उच्च विकास दर को प्राप्त कर सकते हैं। यह क्षेत्र 70 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है। जहाँ तक सेवा प्रक्षेत्र में संभावनाओं का सवाल है, पिछले वर्ष लगभग 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह क्षेत्र बिहार के आर्थिक विकास का प्रमुख वाहक है। जबकि पिछले वर्ष के दौरान औद्योगिक प्रक्षेत्र का विकास दर लगभग 2.5 प्रतिशत रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार जैसे कृषि से सम्पन्न राज्य में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग के लिए अपार संभावनाएँ हैं। बिहार पूरे देश में तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है। सरकार ने औद्योगिकीकरण की दिशा में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 लागू कर अहम नीतिगत बदलाव किया है। बिहार में पर्यटन तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रक्षेत्र में भी साहसिक एवं सतत् बढ़ावा देने की जरूरत है। यह प्रक्षेत्र बिहार के औद्योगिक विकास में अतिमहत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। सरकार के द्वारा उठाये गये कदम से आने वाले वर्षों में औद्योगिक प्रक्षेत्र में वृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं।

तालिका क.3:- प्रमुख राजकोषीय सूचकों का रुझान
(राशि करोड़ रूपए में)

अनु० क्र०	मदें	पूर्व	मदें	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में परिवर्तन (प्रतिशत)	वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2017-18 (वास्तविकी)		2018-19 (बजट अनुमान)	2019-20 (बजट अनुमान)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	117446.74	राजस्व प्राप्तियाँ	158051.41	176747.64	34.57	11.83
2	कर राजस्व	88219.87	कर राजस्व (क+ख)	107174.40	122921.79	21.49	14.69
	(क) संघीय करों में राज्य का अंश	65083.38	(क) संघीय करों में राज्य का अंश	76172.37	89121.79	17.04	17.00
	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	23136.49	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	31002.03	33800.00	34.00	9.03
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	3506.74	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	4445.89	4806.47	26.78	8.11
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	25720.13	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	46431.12	49019.38	80.52	5.57
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	13191.32	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	23203.93	24837.12	75.90	7.04
6	ऋणों की वसूली	21.89	(क) ऋणों की वसूली	408.50	416.38	1766.15	1.93
	लोक ऋण (7+8)	13169.42	लोक ऋण (7+8)	22795.43	24420.74	73.09	7.13
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	11770.77	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	20520.43	21735.74	74.33	5.92
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1398.65	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2275.00	2685.00	62.66	18.02
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	130638.06	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	181255.34	201584.76	38.75	11.22
10	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	71400.09	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	84672.62	99110.01	18.59	17.05
11	राजस्व खाते पर जिसमें	66672.60	राजस्व खाते पर जिसमें	77003.35	91637.17	15.49	19.00
12	(क) ब्याज भुगतान	9053.78	(क) ब्याज भुगतान	10763.49	10723.47	18.88	-0.37
12	(ख) पेंशन	14293.48	(ख) पेंशन	15828.81	18457.53	10.74	16.61
12	(ग) वेतन	16941.45	(ग) वेतन	20232.37	23358.30	19.43	15.45
13	पूँजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)	4727.48	पूँजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)	7669.28	7472.84	62.23	-2.56
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	3841.01	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	6302.49	6152.78	64.08	-2.38
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	812.54	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1023.93	1083.16	26.02	5.78
	(ग) पूँजीगत व्यय	40.99	(ग) पूँजीगत व्यय	35.38	161.40	-13.69	356.19
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	32.94	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	307.48	75.50	833.45	-75.45
14	स्कीम व्यय	65026.94	स्कीम व्यय	92317.65	101391.00	41.97	9.83
	(क) वार्षिक स्कीम	64141.00	(क) वार्षिक स्कीम	91794.73	100000.98	43.11	8.94
	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	885.87	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	522.92	1390.02	-40.97	165.82
15	राजस्व खाते पर	35951.13	राजस्व खाते पर	59736.32	63593.48	66.16	6.46
16	पूँजीगत खाते पर	29075.81	पूँजीगत खाते पर	32581.33	37797.52	12.06	16.01
17	कुल व्यय (10+14)	136427.03	कुल व्यय (10+14)	176990.27	200501.01	29.73	13.28
18	राजस्व व्यय (11+15)	102623.73	राजस्व व्यय (11+15)	136739.67	155230.65	33.24	13.52
19	पूँजीगत व्यय (13+16)	33803.29	पूँजीगत व्यय (13+16)	40250.61	45270.36	19.07	12.47
20	राजस्व घाटा (18-1)	-14823.01	राजस्व घाटा (18-1)	-21311.74	-21516.99	43.77	0.96
21	राजकोषीय घाटा {17-(1+6+13क+13ख)}	14304.85	राजकोषीय घाटा {17-(1+6+13क+13ख)}	11203.94	16101.05	-21.68	43.71
22	प्राथमिक घाटा (23-12क)	5251.07	प्राथमिक घाटा (21-12क)	440.45	5377.58	-91.61	1120.93
23	जी.एस.डी.पी.	487628.00	जी.एस.डी.पी.	515634.00	572827.00	5.74	11.09
24	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	2.93%	राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	2.17%	2.81%	-25.93	29.36
25	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	7.71%	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	6.81%	6.07%	-11.66	-10.91

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण:-

योजना आयोग के परिसमापन, राज्यों को अधिक मात्रा में (विशिष्ट योजनागत स्कीमों से अनिबद्ध) अंतरण के लिए चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन और केंद्र प्रायोजित स्कीमों की संख्या में भारी कमी के बाद देश में वित्तीय संबंध का संघीय ढांचा पुनर्निर्धारित हुआ है और देश में नया वित्तीय स्थायित्व निर्मित हुआ है। अन्य सभी राज्यों की तरह बिहार की राजकोषीय नीति पर भी इन परिवर्तनों का असर हुआ है। बिहार सरकार अपनी राजकोषीय नीति को अर्थव्यवस्था की जरूरतों और वित्तीय विवेक के अनुरूप समय-समय पर बदल देती है। राज्य की राजकोषीय नीति राजस्व अधिशेष निर्मित करने, राजकोषीय घाटा को रोकने और अधिशेष का उपयोग भविष्य में राज्य की आय बढ़ाने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में उन्मुख है। इसका फोकस ऋण स्तर को नीचे रखना भी है।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में बिहार ने 2006 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम लागू किया था जिसके जरिए उसने (क) 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करने और उसके बाद से पर्याप्त राजस्व अधिशेष कायम करने, (ख) 2008-09 तक सकल राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर लाने, (ग) बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 28 प्रतिशत के स्तर से नीचे लाने और (घ) पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के मानक तैयार करने तथा आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और मानव विकास को बल देने वाली व्यय संबंधी नीतियों का अनुपालन करने के लिए खुद को संकल्पबद्ध किया था। इन संकल्पों का अधिकांशतः पालन किया गया है। हालांकि, सकल राजकोषीय घाटा को अधिनियम द्वारा विहित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित रखने के कारण अधिक उधारी लेने और अतिरिक्त उधारियों का पूंजीगत परिसंपत्तियों में निवेश करने की गुंजाइश सामान्यतः सीमित हो गई है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्व घाटा 2004-05 में ही समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद से सभी वर्षों में प्रचुर राजस्व अधिशेष सृजित होता रहा है। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में राज्य की राजस्व प्राप्ति 1,76,748 करोड़ रु० और राजस्व व्यय 1,55,231 करोड़ रु० अनुमानित है जिससे राजस्व लेखे में 21,517 करोड़ रु० का राजस्व अधिशेष होगा। सकल राजकोषीय घाटा 16,101 करोड़ रु० अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.81 प्रतिशत के बराबर होगा। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा विहित 3 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत है। वर्ष

2019-20 में 21,517 करोड़ रु0 के राजस्व अधिशेष से काफी अधिक पूंजीगत परिव्यय का वित्तपोषण होगा । वर्ष 2019-20 के अंत तक बकाया लोक ऋण 1,47,360.51 करोड़ रु0 होना अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25.73 प्रतिशत के बराबर होगा । राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अधिदेशित विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के पथ पर सधे कदमों से आगे बढ़ रहा है । इस राजकोषीय नीति से राज्य की सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में भारी बदलाव आया है । भौतिक अधिसंरचना के निर्माण के साथ-साथ सामाजिक अधिसंरचना को भी मजबूत किया जा रहा है । राजकोषीय नीति का फोकस सार्वजनिक सेवाप्रदान के मानक में सुधार लाना है। पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार ने लोक वित्त के प्रबंधन में बेहतर राजकोषीय अनुशासन दिखाया है । व्यय का न्यायोचित वितरण, राजस्व के टिकाउपन में वृद्धि, निम्न प्राथमिकता वाले ऋणों में कमी और अधिसंरचना में अतिवांछित निवेश में वृद्धि इसका समुचित उदाहरण है । ऐसे विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप गत दशक में आर्थिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से अधिक बनी रही है । गरीबी में 20 प्रतिशत से भी अधिक गिरावट आई है । साक्षरता 15 प्रतिशत बढ़ी है और कृषि क्षेत्र भी 4 प्रतिशत से अधिक वार्षिक दर से विकसित हुआ है । इसी से राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांतों से बिना कोई समझौता किए विकासमूलक व्यय का उच्च स्तर बनाए रखने में सक्षम रही है ।

तालिका ख.1: राजकोषीय संकेतक-परिवर्तनीय लक्ष्य

(राशि करोड़ रु० में)

क्र० सं०	मद	वास्तविकी	वास्तविकी	वास्तविक	बजट अनुमान	लक्ष्य		
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	सकल घरेलू उत्पाद	487316.00	540556.00	487628.00	515634.00	572827.00	632286.00	697918.00
2	राजस्व बचत	12507.16	10819.82	14823.01	21311.74	21516.99	21723.55	21932.10
3	राजकोषीय घाटा	12061.57	14147.37	14304.84	11203.95	16101.05	18968.58	20937.54
4	लोक ऋण वर्ष के अन्त में शेष	88828.62	106190.81	114706.68	130175.69	147360.51	166329.09	187266.63
5	कर राजस्व	74371.86	82622.85	88219.87	107174.40	122921.79	140979.00	161688.82
6	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	2.57	2.00	3.04	4.13	3.76	3.44	3.14
7	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा	2.48	2.62	2.93	2.17	2.81	3.00	3.00
8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	15.26	15.28	18.09	20.78	21.46	22.30	23.17
9	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	18.23	19.64	23.52	25.25	25.73	26.31	26.83

स्त्रोत:- जी०एस०डी०पी० हेतु ।

वर्ष	विभाग/मंत्रालय	पत्रांक	दिनांक
2015-16	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (प्लान फाईनांस डिविजन-I)	40(6)पी०एफ०/2009 वोल्यूम-II	16/04/2015
2016-17	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (प्लान फाईनांस डिविजन-I)	40(6)पी०एफ०/2009 वोल्यूम-II	29/03/2016
2017-18	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा०आ०(वि०)/1227	27/10/2018
2018-19	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा०आ०(वि०)-04/2016-1767	01/11/2017
2019-20	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा०आ०(वि०)/1227	27/10/2018
2020-21	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के पत्र सं० रा०आ०(वि०)/1227 दिनांक 27.10.2018 द्वारा निर्धारित 10.38 प्रतिशत के औसत विकास दर पर गणना की गयी है।		
2021-22			

राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान-

(1) राजस्व प्राप्तियाँ :-

- (क) कर राजस्व - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है । वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 89,121.79 करोड़ रूपए अनुमानित है । वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार के कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 33800.00 करोड़ रूपए है जिसमें वाणिज्यकर विभाग से 25,500.00 करोड़ रूपये, निबंधन विभाग से 4,700.00 करोड़ रूपये, परिवहन विभाग से 2,500.00 करोड़ रूपये एवं भू-राजस्व विभाग से 1,100.00 करोड़ रूपये का संग्रहण किया जायेगा ।
- (ख) करेत्तर राजस्व - वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का करेत्तर राजस्व 4,806.47 करोड़ रूपए अनुमानित है जिसमें मुख्यतः खनन एवं भूतत्व मद से 1,600.00 करोड़ रूपये, ब्याज प्राप्ति मद में 2,293.84 करोड़ रूपये एवं 200.00 करोड़ रूपये झारखण्ड राज्य से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि प्राप्त होनी है ।
- (ग) कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा - कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2018-19 में 31,002.03 करोड़ रूपये अनुमानित है और 2019-20 में 33,800.00 करोड़ रूपये प्राप्त होना अनुमानित किया गया है । कर राजस्व प्राप्ति में वर्ष 2018-19 में राज्य के कर राजस्व का हिस्सा 28.93 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2019-20 में 27.50 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है ।
- (घ) करेत्तर राजस्व - वर्ष 2019-20 में करेत्तर राजस्व 4,806.47 करोड़ रूपए होने की संभावना है जो वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान 4,445.89 करोड़ रूपये से 360.58 करोड़ रूपये अधिक है ।

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ :-

वर्ष 2019-20 में पूंजीगत प्राप्तियाँ 24,837.12 करोड़ रूपए होने की संभावना है जो वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान 23,203.93 करोड़ रूपये से 1,633.19 करोड़ रूपये अधिक है ।

वर्ष 2019-20 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी-

(क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2019-20 में बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं के मद में बाह्य एजेंसियों से 2,685.00 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है ।

(ख) बाजार ऋण - वर्ष 2019-20 में बाजार ऋण के अंतर्गत 18,970.44 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है । बाजार ऋण की उगाही भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से की जाती है ।

(ग) वित्तीय संस्थानों से उधार - वर्ष 2019-20 में नाबार्ड से 2,100.00 करोड़ रूपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर प्राप्त होता जाता है । यह ऋण का सबसे सस्ता स्रोत है ।

(घ) उधारों तथा अग्रिमों की वसूली - 31 मार्च 2018 तक राज्य का 21,169.18 करोड़ रूपये उधार तथा अग्रिम बकाया है । उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग (15,745.27 करोड़ रूपए) ऊर्जा प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराये गये उधार पर बकाया है । वर्ष 2019-20 में ऋणों की वसूली अन्तर्गत 416.38 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

(ङ) बकाया दायित्व - लोक ऋण तथा अन्य दायित्व - वर्ष 2017-18 की वास्तविकी के अनुसार मार्च 2018 की समाप्ति पर लोक ऋण 1,14,706.68 करोड़ रूपये है । राज्य के अन्य दायित्वों (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियाँ एवं जमा एवं पेशगियाँ) 42,070.09 करोड़ रूपये के हैं। इन दोनों को शामिल करने के उपरांत कुल बकाया दायित्व 1,56,776.77 करोड़ रूपये का है ।

तालिका ख.2: राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(राशि करोड़ रुपये में)

अनु० क्र.	प्रवर्ग	वर्ष 1 अप्रैल 2017 को शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्ति			वर्ष के दौरान वापसी अदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)			
			पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	
			2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	आन्तरिक ऋण											
(i)	बाजार उधार	64989.14	10000.00	18344.36	18970.44	1092.00	3397.14	3000.21	73897.14	88844.36	104814.59	
(ii)	एनओएसओएसओएफओ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	23218.42	0.00	0.00	0.00	1768.75	1819.02	1888.35	21449.67	19630.65	17742.30	
(ii)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार इत्यादि	6029.28	1770.77	2100.00	2100.00	980.26	1062.96	1238.72	6819.79	7856.83	8718.11	
(iv)	बन्ध पत्र	2350.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2350.71	2348.61	2346.51	
(v)	अन्य ऋण	7.45	0.00	76.07	665.31	0.00	21.27	23.40	7.45	62.25	704.16	
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल आन्तरिक ऋण	96595.00	11770.77	20520.43	21735.75	3841.01	6302.49	6152.78	104524.76	118742.70	134325.67	
2	केन्द्र से ऋण	9595.81	1398.65	2275.00	2685.00	812.54	1023.93	1083.15	10181.92	11432.99	13034.84	
	कुल लोक ऋण	106190.81	13169.42	22795.43	24420.75	4653.55	7326.42	7235.93	114706.68	130175.69	147360.51	
3	लोक लेखा (अन्य दायित्व)	32530.69	46243.03	27702.15	34140.00	36703.63	27702.15	34140.00	42070.09	42070.09	42070.09	
	योग	138721.50	59412.45	50497.58	58560.75	41357.18	35028.57	41375.93	156776.77	172245.78	189430.60	

(3) कुल व्यय :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा स्कीम व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान अनुसार स्कीम व्यय के राजस्व व्यय 63,593.48 करोड़ रुपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय 91,637.17 करोड़ रुपए अनुमानित है।

(क) राजस्व लेखा - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान शामिल है।

(i) वेतन - वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के वेतन मद में 23,358.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है। इसके

अतिरिक्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से वेतन लोक उपक्रम एवं अन्य संस्थाओं में कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि 8,391.55 करोड़ रुपये जिसमें विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन एवं पेंशन मद में सहायक अनुदान के रूप में 4,406.28 करोड़ रुपये भुगतान अनुमानित है ।

(ii) ब्याज भुगतान - वर्ष 2019-20 में 10,723.47 करोड़ रुपये का भुगतान अनुमानित है ।

(iii) पेंशन - पेंशन मद में वर्ष 2019-20 में 18,457.53 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(ख) पूंजीगत लेखा - पूंजीगत लेखा के अंतर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम शामिल है ।

(i) पूंजीगत परिव्यय - राज्य के पूंजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है । वर्ष 2019-20 में पूंजीगत परिव्यय 36,592.61 करोड़ रुपये में वार्षिक स्कीम मद में 36,431.21 करोड़ रुपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 161.40 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है ।

(ii) लोक ऋण - वर्ष 2019-20 में लोक ऋण में 7,235.94 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें राज्य के आंतरिक ऋण के विरुद्ध 6,152.78 करोड़ रुपए की राशि और केन्द्र सरकार से लिए गए कर्ज तथा अग्रिम के मद में 1,083.16 करोड़ रुपए का व्यय अनुमान है ।

(iii) उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2019-20 में उधार तथा अग्रिम मद में 1,441.81 करोड़ रुपया अनुमानित है जिसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 75.50 करोड़ रुपये और वार्षिक स्कीम मद में 1366.31 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) :

योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) का पत्र सं० 1227 दिनांक-27.10.2018 के आलोक में वर्ष 2019-20 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011-12 पर 5,72,827.00 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2017-18 की वास्तविकी में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 4,87,628.00 करोड़ रुपये है।

(5) संवहनीयता का निर्धारण :

- (i) सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जी०एस०डी०पी० का 30.65 प्रतिशत है तथा वर्ष 2019-20 में इसके 30.86 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में राज्य के अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 6.01 प्रतिशत है और यह वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 5.90 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 14.77 प्रतिशत है और यह वर्ष 2019-20 बजट अनुमान में 15.56 प्रतिशत संभावित है।

वर्ष 2018-19 बजट अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 6.81 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 6.07 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के अनुसार कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 33.40 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार 33.07 प्रतिशत रहने की संभावना है।

(ii) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान - वेतन मद में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के अनुसार 20,232.37 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 23,358.30 करोड़ रुपये दिया जाना अनुमानित किया गया है। पेंशन मद में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के अनुसार 15,828.81 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 18,457.53 करोड़ रुपये दिया जाना अनुमानित है।

राज्य द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान के व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। ब्याज मद में वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 10,763.49 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2019-20 में 10,723.47 करोड़ रुपये दिया जाना अनुमानित है।

(iii) पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग - राज्य के द्वारा राजस्व बचत की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार राजस्व बचत की स्थिति बनाये रखी गई है। सभी पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु सिंचाई, सड़क तथा पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

(iv) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - वर्ष 2019-20 में पेंशन मद में 18,457.53 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2019-20 से आगे के वर्षों के लिए 9 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है।

तालिका ख.3: अगले 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2019-20	18457.53
2020-21	20118.71
2021-22	21929.39
2022-23	23903.04
2023-24	26054.31
2024-25	28399.20
2025-26	30955.13
2026-27	33741.09
2027-28	36777.78
2028-29	40087.79

(ग) राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण:-

- (1) राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार :- राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधिसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। पूर्व वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर संग्रहण में वृद्धि देखी गई है।

बजट अनुमान के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 11.83 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के अपने कर राजस्व में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 9.03 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। करेत्तर राजस्व में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 1.93 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

राज्य का राजस्व बचत वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) 21,311.74 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2019-20 में 21,516.99 करोड़ रूपए अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) 11,203.95 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2019-20 में 16,101.05 करोड़ रूपए अनुमानित है । यह राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 के (बजट अनुमान) राज्य सकल घरेलू उत्पाद 5,15,634.00 करोड़ रूपये (आधार वर्ष 2011-12) का 2.17 प्रतिशत है, वर्ष 2019-20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 5,72,827.00 करोड़ रूपये (आधार वर्ष 2011-12) का 2.81 प्रतिशत है जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अन्तर्गत है ।

(2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति :- चूंकि भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) अधिनियम 2017-18 में लागू किया गया है, अतः राज्य सरकार द्वारा भी बिहार राज्य में जी०एस०टी० अधिनियम को राज्य के विधान मंडल से पारित करा कर लागू किया गया है और इसके बेहतर कार्यान्वयन के क्रम में आवश्यक कार्रवाई समय-समय पर की जा रही है।

(अ) व्यय नीति :- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में अनुत्पादक व्यय में कमी करना, वार्षिक स्कीम व्यय में वृद्धि करना, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है ।

राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में लागू किए गए कुछ अन्य सुधार निम्नानुसार है :-

(क) परिणाम बजट :- सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शाने वाली विवरणी “परिणाम बजट” की पहल वर्ष 2006-07 में शुरू की गयी थी । इसी क्रम में वर्ष 2019-20 के लिए परिणाम बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) जेण्डर बजट :- महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के

अन्तर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2019-20 हेतु भी जेण्डर बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) बाल कल्याण बजट:- राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या का अनुपात महत्वपूर्ण है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है। बाल कल्याण बजट के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा अंकित होता है। बाल कल्याण बजट वर्ष 2013-14 से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2019-20 हेतु भी बाल कल्याण बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) उपलब्धि प्रतिवेदन:- वित्तीय वर्ष 2006-07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी शुरू की गयी है। उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वर्ष का उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत कराया जाता है। वर्ष 2018-19 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) ऋण एवं आकस्मिक दायित्व: वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है, तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है। आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निक्षेप निधि का गठन किया गया है। 31 मार्च 2018 तक इस निक्षेप निधि में ब्याज सहित जमा राशि 5,138.43 करोड़ रुपये की है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है-

तालिका ग.1: निक्षेप निधि विवरणी

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष 2017-18 में निक्षेप निधि में निवेश	निवेश पर ब्याज	31 मार्च 2018 को अवशेष
निक्षेप निधि	4165.33	693.60	1027.19	5138.43

(4) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँ:

(I) सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू किया गया है जिसके तहत बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- “आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार” अन्तर्गत राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
- “आर्थिक हल, युवाओं को बल” अन्तर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को कारगर एवं प्रभावी बनाने के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का गठन तथा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- “हर घर बिजली” अन्तर्गत दिसम्बर 2018 तक सभी घरों को बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे समय पूर्व दिनांक- 25 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त कर लिया गया ।
- “हर घर नल का जल” अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने हेतु विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

- “घर तक पक्की गली-नालियाँ” अन्तर्गत राज्य के सभी सम्पर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने तथा सभी गाँव एवं शहरों में गली-नाली का निर्माण कराने हेतु विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- “शौचालय निर्माण, घर का सम्मान” अन्तर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं शौचालय निर्माण स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।
- “अवसर बढ़े, आगे पढ़ें” अन्तर्गत राज्य में उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नये अभियंत्रण महाविद्यालय/मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, जी०एन०एम०/ए०एन०एम० स्कूल की स्थापना, पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना, पॉलिटैक्निक संस्थान की स्थापना, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

(क) बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड(BSEFC)

- ❖ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों को ससमय ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना का गठन किया गया है ।
 - ❖ वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिये क्रमशः 50,000, 75,000 एवं 1,00,000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने का प्रारंभिक अनुमान है । शिक्षा विभाग के द्वारा जिलावार लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है ।
- दिनांक 22 जनवरी, 2019 तक बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के सॉफ्टवेयर में कुल 35,903 शिक्षा ऋण के आवेदन स्वीकृति हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र से प्राप्त हुए हैं ।
- ❖ दिनांक 21 जनवरी, 2019 तक निगम के सॉफ्टवेयर में 38 जिलों से प्राप्त शिक्षा ऋण आवेदनों के विरुद्ध स्वीकृत शिक्षा ऋण आवेदनों की स्थिति निम्नवत है :-

क्र०	आवेदकों की कोटि	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	पुरुष	25,224	7,13,44,16,810.00
2	महिला	7,221	1,89,06,31,763.00
3	ट्रान्सजेन्डर	01	2,24,950.00
	कुल	32,446	9,02,52,73,523.00

क्र०	आवेदकों की कोटि	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	सामान्य	11,879	3,54,99,77,702.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	12,689	3,50,49,39,137.00
3	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	4,599	1,16,79,16,381.00
4	अनुसूचित जाति	2,832	69,57,11,627.00
5	अनुसूचित जनजाति	447	10,67,28,676.00
	कुल	32,446	9,02,52,73,523.00

शिक्षा ऋण की स्वीकृति के आलोक में निम्न प्रकार से राशि का ऑनलाईन हस्तांतरण निगम के द्वारा संबंधित आवेदकों एवं उनके शिक्षण संस्थानों के बैंक खाते में किया जा चुका है :-

क्र०	आवेदकों की कुल संख्या	ऑनलाईन हस्तांतरित राशि (रूपये करोड़ में)
1	23,858	211.26

- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना द्वारा राज्य मुख्यालय में एक **हेल्पडेस्क** गठित किया गया है जिसमें 3 Hunting Line के साथ दूरभाष अधिष्ठापित किया गया है । हेल्पडेस्क का दूरभाष संख्या **0612-2233840** है । उक्त हेल्पडेस्क के द्वारा शिक्षा ऋण स्वीकृति के क्रम में ERP Solution में उत्पन्न हो रही तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु चयनित एजेंसी के 3 तकनीकी कर्मी प्रत्येक कार्य दिवस को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे संध्या तक प्रतिनियुक्त किये गये हैं, जो निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों से शिक्षा ऋण आवेदनों की स्वीकृति के क्रम में प्राप्त हो रही ERP Solution में उत्पन्न कठिनाईयों के संबंध में दूरभाष पर अथवा ई-मेल से प्राप्त सूचनाओं को सूचीबद्ध कर अभिलेख संधारित करते हुए इनका निराकरण कर रहे हैं ।

(II) GeM Portal से सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति

लोक अधिप्राप्ति से सम्बन्धित मामलों में दक्षता, मित्तव्ययिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक दर एवं पारदर्शिता लाने तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष एवं लोक अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से GeM Portal से दिनांक-01.04.2018 से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति को अनिवार्य कर दिया गया है । राज्य के सभी जिलों से भी GeM Portal के वेबसाईट पर निबंधन कराते हुए यथासंभव GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति आवश्यकतानुसार किये जाने का निदेश दिया गया है । निकट भविष्य में राज्य के सभी कार्यालयों में GeM Portal से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति को अनिवार्य किये जाने की योजना है। वित्त विभाग द्वारा राज्य में अवस्थित स्थानीय विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को भारत सरकार के Online Portal Government e-Market Place (GeM) में निबंधन कराने के लिए प्रेरित किये जाने हेतु Bihar Industries Association एवं Bihar Chamber of Commerce के तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला में GeM के प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, GeM, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य को दिनांक 06.06.2018 को नई दिल्ली में आयोजित GeM के राष्ट्रीय कार्यशाला में GeM Top Buyer 2018 Award से सम्मानित किया गया है ।

दिनांक 06.09.2018 से 15.10.2018 तक GeM के राष्ट्रीय मिशन की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों/संस्थानों/कार्यालयों को माननीय उप मुख्य(वित्त) मंत्री द्वारा दिनांक-23.11.2018 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में GeM प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

24 जनवरी, 2019 तक बिहार के कुल 354 सरकारी विभागों/कार्यालयों एवं 2078 विक्रेताओं ने GeM Portal पर निबंधन करा लिया है ।

(III) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता भत्ता, छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क साईकिल, विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, पोशाक एवं पठन-पाठन सामग्री, छात्रवृत्ति देने से संबंधित विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही है ।

भारत सरकार के केन्द्र प्रायोजित स्कीम (CSS) के तहत विभिन्न विभागों में कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही है । इन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों को प्राप्त होने वाली राशि उनके बैंक खाते में अंतरण किया जाना अपेक्षित है । ऐसा करने के लिये यह आवश्यक है कि सभी चिन्हित लाभुकों का एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस हो । इसके लिए केन्द्रीयकृत लाभार्थी डाटाबेस Central Beneficiary Database (CBD) तैयार करने हेतु e-Labharathi योजना लागू किया गया है ।

इस Central Beneficiary Database (CBD) में लाभार्थियों का मोबाईल नं०, ई-मेल पता, आधार संख्या तथा मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जानकारी रखी जा रही है । ई-लाभार्थी मास्टर डाटाबेस को विभिन्न वाह्य प्रणालियों से जोड़ा जा रहा है । जैसे-BPL List, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना एवं बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणाली आदि । इन आंकड़ों की मदद से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि सीधे भेजी जा रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो रही है । इस प्रकार जन-धन योजना के तहत खोले गए नये बैंक खातों का उपयोग भी हो रहा है और जहाँ बैंक खाता उपलब्ध नहीं है, वहाँ बैंक खाता खोलने में भी मदद मिल रही है । सभी लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा सामाजिक-आर्थिक जनगणना एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उपलब्ध है, को एकीकृत कर उन्हें लाभार्थियों के बैंक खाता से जोड़कर एक समेकित केन्द्रीयकृत लाभार्थी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ।

इस e-Labharathi योजना का सबसे अच्छा उपयोग समाज कल्याण विभाग में किया जा रहा है । बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभान्वितों को सब्सिडी/छात्रवृत्ति इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जा रही है । डी०बी०टी० सेल अंतर्गत एक Project Monitoring Unit बनाने हेतु World Bank से सहायता लिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है ।

राज्य में चल रही केन्द्रीय तथा राज्य स्कीमों में हो रहे कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु तैयार किये गये Portal में जिन विभागों द्वारा स्कीमवार प्रविष्टी करायी गयी है, उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में अबतक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल लाभुकों की संख्या लगभग 1 करोड़ 41 लाख है, जिसके अन्तर्गत कुल 7,733.13 करोड़ रुपये की राशि लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित की गयी है ।

(IV) CFMS-समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

❖ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ई-शासन के माध्यम से सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य के सभी कोषागारों का कम्प्यूटराईजेशन प्रारंभ किया गया। इस हेतु ब्रेन परियोजना के तहत सी०टी०एम०आई०एस० सॉफ्टवेयर विकसित एवं संस्थापित किया गया। विगत 10 वर्षों से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं :-

- बजट का आकलन एवं तैयारी ।
- कार्यालयों द्वारा कोषागार में ऑनलाईन विपत्रों का प्रेषण ।
- कोषागार में ऑनलाईन विपत्रों की जाँच एवं भुगतान ।
- सरकारी कर्मचारियों को लोन का भुगतान एवं वसूली ।
- सामान्य भविष्य निधि कटौतियों का लेखा संधारण एवं ब्याज सहित अद्यतिकरण ।
- डैशबोर्ड पर लोक वित्तीय प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन प्राप्त करने की सुविधा ।

वर्ष 2017-18 से राज्य के करदाताओं एवं आम आदमी को देश के किसी कोने से कभी भी सरकारी कोष में राशि जमा कराने की सुविधा देने हेतु

सी०टी०एम०आई०एस० में ई-प्राप्ति पोर्टल संस्थापित किया गया। अब आम आदमी को सरकारी सेवा लेने हेतु जमा की जाने वाली राशि के भुगतान हेतु कोषागार एवं बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु अलग से एक ई-कोषागार स्थापित किया गया है । निबंधन, परिवहन, स्वास्थ्य, भू-राजस्व, खान एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, उद्योग आदि विभाग की प्राप्तियाँ इस पोर्टल के माध्यम से जमा हो रहा है। वर्ष 2019-20 में शेष सभी विभाग को इससे जोड़ा जायेगा ।

सी०टी०एम०आई०एस० पुराना सिस्टम हो गया है । इसकी क्षमता भी कम है तथा लोक वित्तीय प्रबंधन में बदलते परिदृश्य के आलोक में इसमें नये-नये कार्यकलापों को जोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है । यह सिस्टम इन्टरनेट पर कार्य कर रहा है, इसलिए इसकी व्यापकता नहीं है । सी०टी०एम०आई०एस० में वास्तविक समय आधारित सूचना प्राप्त नहीं होती है । लोक वित्त प्रबंधन के अन्य स्टेक होल्डर्स का एक्सेस इसपर संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा सी०टी०एम०आई०एस० के स्थान पर नयी प्रणाली “समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी०एफ०एम०एस०)” विकसित की जा रही है ।

सी०एफ०एम०एस० को वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू किया जायेगा। इससे राज्य की संपूर्ण वित्तीय गतिविधियाँ ऑनलाईन हो जायेगी तथा राज्य कम कागज की तरफ अग्रसर होगा। इससे वित्तीय प्रशासन एवं प्रबंधन में पारदर्शिता आयेगी तथा कार्य की गति बढ़ेगी। इसमें निम्नांकित महत्वपूर्ण मोड्यूल कार्य करेंगे :-

1. बजट आकलन एवं तैयारी - वर्ष 2019-20 का बजट सी०एफ०एम०एस० के बजट मोड्यूल पर ही तैयार किया गया है । अगले बजट निर्माण का कार्य क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा बजट आकलन करने से प्रारंभ होगा ।

2. आवंटन मोड्यूल- 2019-20 से प्रशासी विभाग/निदेशालयों द्वारा अपने क्षेत्रिय कार्यालयों को सी०एफ०एम०एस० के माध्यम से आवंटन दिया जायेगा। विलंब से आवंटन के कारण स्कीम का क्रियान्वयन ससमय होगा ।
3. व्यय मोड्यूल- इस मोड्यूल के माध्यम से निम्नांकित कार्य ऑनलाईन होंगे-
 - कार्यालयों द्वारा व्यय की स्वीकृत्यादेश निर्गमन ।
 - कोषागार से राशि निकासी हेतु कार्यालयों में ऑनलाईन विपत्रों की तैयारी तथा कोषागार को प्रेषण ।
 - कोषागार द्वारा विपत्रों की सिस्टम में जाँच तथा आरबीआई के ई-कुबेर पोर्टल/भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सी०एम०पी० पोर्टल से सीधे लाभूकों के बैंक खाते में भुगतान ।
 - कोषागार का मासिक लेखा स्वतः सिस्टम से तैयार ।
 - पी०एल० एवं पी०डी० खाता से राशि की निकासी एवं लेखांकन की सरल व्यवस्था। चेक के माध्यम से निकासी को बंद करना ।
4. पेंशन मोड्यूल- राज्य के पेंशनरों का डाटाबेस तैयार करना तथा भुगतान की व्यवस्था ।
5. पेयी मोड्यूल- सरकारी राशि से लाभ प्राप्त करने वाले लाभूकों/प्राप्तिकर्ताओं का डाटाबेस तैयार करना तथा कोषागार से सीधे उनके खाते में भुगतान किया जायेगा ।
6. कार्य एवं वनप्रमंडलों के लिए राशि निकासी एवं लेखांकन की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है । एल०ओ०सी० सिस्टम तथा चेक से राशि निकासी की प्रथा समाप्त की जा रही है । कोषागार से सीधे संवेदकों के खाते में राशि भुगतान की जायेगी ।
7. सरकारी कार्यालयों द्वारा आपूर्ति प्राप्त करने की स्थिति में भुगतान पर की जाने वाली जी०एस०टी०-टी०डी०एस० के लिए ऑनलाईन व्यवस्था की जा रही ।
8. ई-लाभार्थी पोर्टल- राज्य सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में सरकारी लाभ प्राप्त करने वाले लाभूकों की संख्या अधिक होती है । भारत

सरकार के पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के माध्यम उपर्युक्त लाभूकों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि भुगतान करने हेतु लाभूकों का डाटाबेस तैयार होना आवश्यक है । इसलिए राज्य सरकार द्वारा एनआईसी से “ई-लाभार्थी” पोर्टल तथा “बिहार डीबीटी पोर्टल” विकसित कराया गया है । इसमें विभिन्न विभागों द्वारा बल्क लाभूकों से संबंधित लाभूकों का डाटा तैयार किया जाता है । अबतक इसपर 15 विभाग निबंधित है तथा सात विभाग यथा समाज कल्याण, एसी/एसटी कल्याण, स्वास्थ्य, गृह, बीसी/ईबीसी कल्याण, खाद्य उपभोक्ता एवं योजना एवं विकास द्वारा लाभूकों को भुगतान भी किया जा रहा है । ई-लाभार्थी पोर्टल पर करीब एक करोड़ से अधिक लाभूकों का डाटा संधारित है । अन्य विभागों को भी अपने स्कीम के लाभूकों को ई-लाभार्थी पोर्टल पर लाने हेतु पोर्टल की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता थी, तथा इसमें अतिरिक्त कार्यप्रणाली किया जाना है । इस पोर्टल का परिचालन एवं अनुरक्षण भी किया जाना है । इस हेतु अगले तीन साल के लिए ई-लाभार्थी पोर्टल को और व्यापक एवं क्षमतावान बनाने, अन्य कार्य-कलापों से युक्त बनाने तथा परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु एनआईसी, को कायदेशि दिया गया है ।

विश्व बैंक द्वारा डीबीटी सिस्टम को सुदृढ़ करने, आधार सीडिंग को बढ़ाने एवं ई-लाभार्थी पोर्टल के अनुश्रवण हेतु एक वर्ष के लिए तकनीकी सहायता दी गयी है । विश्व बैंक द्वारा इस कार्य हेतु टीम की प्रतिनियुक्ति की जा रही है तथा एकरार की प्रक्रिया चल रही है ।

9. आधारभूत सुविधा- सी०एफ०एम०एस० प्रणाली में कोषागारों की भूमिका महत्वपूर्ण है । इसलिए सभी कोषागारों में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस स्कैनर आदि उपलब्ध करा दिये गये ।

(V) राजकोषीय नीति मुख्यतया राज्य सरकार के आय, व्यय एवं राजस्व के संग्रहण से संबंधित है । सरकार की प्राथमिकता करों के आधार को बढ़ाना और अधिक से अधिक कर संग्रहित हो यह सुनिश्चित करना है ।

(VI) वार्षिक स्कीम का व्यय बढ़ाना, जिससे विकासात्मक कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा सके ।

(5) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

- (i) राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करना है ।
- (ii) कृषि के विकास की दर में वृद्धि बनी रहे इस हेतु तृतीय कृषि रोडमैप 2017-22 लागू किया गया है ।
- (iii) करों की दरों में अनावश्यक वृद्धि नहीं की जाएगी ।

(6) नीति मूल्यांकन : बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार वांछित राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है । मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2017-18 की वास्तविकी, वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान तथा वर्ष 200-21 से वर्ष 2021-22 का प्राक्कलन राजकोषीय घाटे की 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

(c) Copyright 2019 Finance Department, Govt. Of Bihar

PRINTED AT SARASWATI PRESS LTD. (GOVT. OF WESTBENGAL ENTERPRISE), KOLKATA 700056